न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 280 / 2022 (2022 / 833)

अनवान

1. नारायण लाल पिता रामलाल मीणा नि.चामटी का खेडा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. उदयलाल पिता रामलाल मीणा नि.चामटी का खेडा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
3. किशनी पुत्री रामलाल मीणा नि.चामटी का खेडा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
4. काली पुत्री रामलाल मीणा नि.चामटी का खेडा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. कालू पिता हीरालाल मीणा नि.चामटी का खेडा, चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53—188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता वादीगण

श्री संजय मौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय दिनांक 23/03/26

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53—188 आर.टी.ए. को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम सेंती पटवार हल्का सेंती के खाता संख्या 259 मे वर्णित आराजी नम्बर 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912 कुल किता 07 कुल रकबा 2.09 हे. स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण का जमाबन्दी मे अंकन

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा प्रार्थी की उक्त रास्ते सम्बन्धी आपत्ति को खारिज फरमाया जाकर तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री पारित करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन किया । प्रार्थी द्वारा जो आपत्ति रास्ते सम्बन्धी विभाजन प्रस्ताव पर उठाई गई है वह न्यायोचित न होकर निराधर है चूंकि रास्ता शामलाती रखा गया है । जो कि प्राथमिक डिक्री मे कब्जे अनुसार आवागमन का सुलभ मार्ग को ध्यान मे रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार हुआ है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति स्वीकार योग्य न होकर खारीज किए जाने योग्य है । लिहाजा प्रार्थीगण की आपत्ति रास्ते सम्बन्धी खारीज की जाती है।

हस्तगत प्रकरण मे योग्य निर्णय के आधार पर विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होने से निम्नानुसार अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। वादीगण का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम सेंती पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 259 मे वर्णित आराजीयात कुल किता 07 कुल रकबा 2.09 हे. भूमि का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	श्री नारायणलाल उदयलाल पिता रामलाल किशनी काली पिता रामलाल मीणा सा.चामटी खेडा खाते.	906 मे से	0.0150 (उत्तर दिशा)	बीड	0.03
		907 मे से	0.0655 (उत्तर दिशा)	नहरी 2	0.69
		910 मे से	0.0720	नहरी 2	0.80
		911	0.85 (सम्पूर्ण)	नहरी 2	9.78
		912 मे से	0.0350 (पश्चिम दिशा)	बीड	0.07
	कुल किता	05	1.0375	—	11.37

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़

(हीरू रैगर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2.	कालू पिता हीरालाल मीणा सा. चामटी खेडा खाते.	906 मे से	0.0950 (दक्षिण दिशा)	बीड	0.19
		907 मे से	0.4745 (दक्षिण दिशा)	नहरी 2	5.52
		908	0.06 (सम्पूर्ण)	बीड	0.12
		909	0.03	आ.चा.	—
		910 मे से	0.3780 (दक्षिण दिशा)	नहरी 2	4.37
	कुल किता	05	1.0375	—	10.20
3.	श्री नारायणलाल उदयलाल पिता रामलाल किशनी काली पुत्री रामलाल 1/2 कालू पिता हीरालाल 1/2 मीणा सा.चामटी खेडा खाते.	912 मे से (रास्ता हेतु)	0.0150 (पूर्वी दिशा)	बीड	0.03
	कुल किता	01	0.0150	—	0.03

नोट :— आराजी नं 909 रकबा 0.03 हे. किस्म आ.चा. वर्तमान मे खडा होकर सिंचाई का स्त्रोत नही होकर अप्रार्थी कालू पिता हीरालाल मीणा के हिस्से मे कब्जा काश्त है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करे और न ही अन्य से करावे। डिक्री मुर्तिब हो। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. नारायण लाल पिता रामलाल मीणा नि.चामटी का खेडा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. उदयलाल पिता रामलाल मीणा नि.चामटी का खेडा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
3. किशनी पुत्री रामलाल मीणा नि.चामटी का खेडा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
4. काली पुत्री रामलाल मीणा नि.चामटी का खेडा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. कालू पिता हीरालाल मीणा नि.चामटी का खेडा, चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53—188 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या : 280/2022 (2022/833)

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम वैष्णव एंव प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता संजय मौड की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम सेंती पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 259 मे वर्णित आराजीयात कुल किता 07 कुल रकबा 2.09 हे. भूमि का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	श्री नारायणलाल उदयलाल पिता रामलाल किशनी काली पिता रामलाल मीणा सा.चामटी खेडा खाते.	906 मे से	0.0150 (उत्तर दिशा)	बीड	0.03
		907 मे से	0.0655 (उत्तर दिशा)	नहरी 2	0.69

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ
जिला चित्तौडगढ

Scanned with OKEN Scanner

		910 मे से	0.0720	नहरी 2	0.80
		911	0.85 (सम्पूर्ण)	नहरी 2	9.78
		912 मे से	0.0350 (पश्चिम दिशा)	बीड	0.07
	कुल किता	05	1.0375	—	11.37
2.	कालू पिता हीरालाल मीणा सा.चामटी खेडा खाते.	906 मे. से	0.0950 (दक्षिण दिशा)	बीड	0.19
		907 मे से	0.4745 (दक्षिण दिशा)	नहरी 2	5.52
		908	0.06 (सम्पूर्ण)	बीड	0.12
		909	0.03	आ.चा.	—
		910 मे से	0.3780 (दक्षिण दिशा)	नहरी 2	4.37
	कुल किता	05	1.0375	—	10.20
3.	श्री नारायणलाल उदयलाल पिता रामलाल किशनी काली पुत्री रामलाल 1/2 कालू पिता हीरालाल 1/2 मीणा सा.चामटी खेडा खाते.	912 मे से (रास्ता हेतु)	0.0150 (पूर्वी दिशा)	बीड	0.03
	कुल किता	01	0.0150	—	0.03

नोट :— आराजी नं 909 रकबा 0.03 हे. किस्म आ.चा. वर्तमान मे खडा होकर सिंचाई का स्त्रोत नही होकर अप्रार्थी कालू पिता हीरालाल मीणा के हिस्से मे कब्जा काश्त है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करे और न ही अन्य से करावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

यह आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा व ७०८ सेन्ती, तह व जिला चित्तौड़गढ़

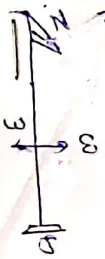

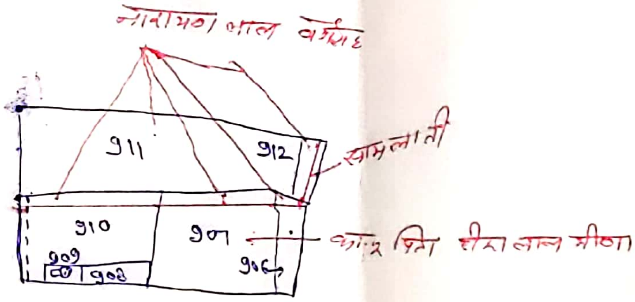

पटवारी
प.ह. सेंती
तह. व जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

रतन लाल मीणा